

पत्रांक-11 न० वि० अभि० (को०) 76/2014 // 82 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
सहरसा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर।

पटना, दिनांक...15/9/18

विषय:-

राज्य योजना अन्तर्गत नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन चौक से अनुमंडल कार्यालय तक पथ सह नाला निर्माण कार्य का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:-

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर का पत्रांक-567 दिनांक-14.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र पुनः तैयार कर अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

जाँच केक्रम में पाया गया कि उक्त कार्य से संबंधित योजना का प्रशासनिक स्वीकृति की राशि-221.85 लाख (सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक-139 दिनांक-18.02.2015) का दिया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक-22 दिनांक-04.01.2016 द्वारा विषयांकित योजना का तकनीकी स्वीकृति राशि 219.182 लाख का दिया गया है एवं इस कार्यालय के पत्रांक-1296 दिनांक-19.07.2016 द्वारा राशि 2,01,32,387/- रुपये मात्र का परिमाण विपत्र अनुमोदन किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, सहरसा द्वारा प्राक्कलन प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि उक्त योजना हेतु दो बार निविदा निकाला गया, परन्तु कोई भी निविदाकार सफल नहीं हुआ है।

उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में यह स्पष्ट करें कि उक्त दो बार की निविदा कब-कब निकाली गयी थी एवं उक्त निविदा में फलाफल क्या था?

इसके साथ ही विलम्ब के कारणों को भी स्पष्ट किया जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
31/11/18
14/9/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।